



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2034]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2010/आश्विन 8, 1932

No. 2034]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2010/ASVINA 8, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2010	(1)	(2)	(3)	(4)
का.आ. 2394(अ).—यतः मै. अशिया इंटरनेशनल लिमिटेड, जो महाराष्ट्र राज्य में एक निजी संगठन है, ने महाराष्ट्र राज्य में ग्राम बोरी, तालुका नागपुर, जिला नागपुर में मुक्त व्यापार एवं भण्डारण क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है ;	2.	बोरी	173/1	1.144
और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 10 मार्च, 2010 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;	3.		174	0.860
अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र को उपर्युक्त स्थान पर विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:-	4.		175/1ए	1.110
	5.		175/2	0.810
	6.		178	1.060
	7.		179	1.960
	8.		180	1.070
	9.		181/1	1.660
	10.		181/2	0.810
	11.		181/3	0.810
	12.		182	3.020
	13.		183	2.080
	14.		187	0.800
	15.		188/1ए	3.140
	16.		232	3.334
	17.		233/1	2.030
	18.		233/2	1.010
	19.		234/1	1.350
	20.		234/2ए	1.210
	21.		236/1	1.180
	22.		236/2	1.170
	23.		244/1	1.520
	24.		244/2	1.520
	25.		244/3	1.520
	26.		244/4	1.520

तालिका

क्र. सं.	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बोरी	173/2	1.180

(1)	(2)	(3)	(4)
27.	बोरी	244/5	1.520
28.		245/1	2.160
29.		245/2	1.600
		कुल	43.258
			हेक्टेयर

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

- विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त —अध्यक्ष, पदेन
- निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, —सदस्य, पदेन
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव,
भारत सरकार से कम नहीं होगा
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय —सदस्य, पदेन
क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त
विदेश व्यापार महानिदेशक
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय —सदस्य, पदेन
क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क
आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त
अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त
आयुक्त से कम नहीं होगा
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय —सदस्य, पदेन
क्षेत्राधिकार रखने वाले आयुक्त
अथवा उसका नामिती जिसका स्तर
संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा
- निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, —सदस्य, पदेन
बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किए —सदस्य, पदेन
जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर
संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा
- मै. अर्शिआ इंटरनेशनल लिमिटेड —विशेष
(जोन के विकासकर्ता) का प्रतिनिधि आमंत्रिती

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2010 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा ।

[फा. सं. एफ. 1/36/2009-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2010

S.O. 2394(E).—Whereas M/s. Arshiya International Limited, a private organization in the State of Maharashtra, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for Free Trade and Warehousing Zone at Village Bori, Taluka Nagpur, District Nagpur in the State of Maharashtra;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 10th March, 2010;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of Rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the following area at above location with survey numbers given below in the Table, as a Special Economic Zone, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bori	173/2	1.180
2.		173/1	1.144
3.		174	0.860
4.		175/1A	1.110
5.		175/2	0.810
6.		178	1.060
7.		179	1.060
8.		180	1.070
9.		181/1	1.660
10.		181/2	0.810
11.		181/3	0.810
12.		182	3.020
13.		183	2.080
14.		187	0.800
15.		188/1A	3.140
16.		232	3.334
17.		233/1	2.030
18.		233/2	1.010
19.		234/1	1.350
20.		234/2A	1.210
21.		236/1	1.180
22.		236/2	1.170
23.		244/1	1.520

(1)	(2)	(3)	(4)		
24.	Bori	244/2	1.520	4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	—Member, ex-officio
25.		244/3	1.520		
26.		244/4	1.520		
27.		244/5	1.520		
28.		245/1	2.160	5. Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	—Member, ex-officio
29.		245/2	1.600		
		Total	43.258		
			hectares		

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of Section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1. Development Commissioner of the Special Economic Zone —Chairperson ex-officio
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India —Member, ex-officio
3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone —Member, ex-officio

6. Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India —Member, ex-officio
7. Two Officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the Government of Maharashtra —Members, ex-officio
8. Representative of M/s. Arshiya International Limited (Developer of the Zone) —Special Invitee

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 30th day of September, 2010 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F. 1/36/2009-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.